प्रेषक :

अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
जौनपुर ।

सेवा में:

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष **आयोग**
लखनऊ ।

पत्रांकः– 2091 **/जि0आ0जौ0/मीडियेशन/2021–22** **दिनांकः–** 14-3-22

विषय :एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में जिला आयोग,जौनपुर के मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,लखनऊ के पत्रांकः3426/एस0सी0डी0 आर0सी0/अधि0101/16 दिनांकः02.12. 2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0शासन की अधिसूचना सं0सी.पी.480/2021/84–2–2021–सी.एन. 1369528 दिनांकः 25.11.2021 व पत्र सं05070/एस0सी0डी0आर0सी0/अि101/16 दिनांक 28.2.2022 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) विनियमन,2020 की धारा–5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जौनपुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस संबंध में प्राविधान है कि संबंधित में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जावे ।

इस सम्बन्ध में जनपद जौनपुर के जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से एक अंगेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में इस सूचना को प्रकाशित कराने में होने वाले अनुमानित व्यय की जानकारी की गई तो अवगत कराया गया कि इसमें लगभग 47832/–रू0 का व्यय होना बताया गया है जो अत्यधिक है ।

यदि आवश्यक सूचना को मा0 राज्य आयोग, लखनऊ की बेवसाइट पर अपलोड करा दिया जाय और अत्यन्त सूक्ष्म में उपरोक्त दोनों समाचार पत्रों में मात्र इतना प्रकाशित करा दिया जाय कि –

आवश्यक सूचना

जिला उपभोक्ता आयोग, जौनपुर में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा0 राज्य उपभोक्ता आयोग उ0प्र0 की बेवसाइट www.scdrcup.nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है ।

ऐसा करने पर विज्ञापन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाने से उस पर आने वाला व्यय न्यून हो जायगा ।उक्त स्थिति में उक्त सूचना को अंग्रेजी समाचार पत्र NORTHEN INDIA PATRIKA PRAYAGRAG **एवं न्यायाधीश हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है ।**

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचना को माननीय राज्य आयोग की बेवसाइट पर अपलोड करा दिया जाय । इस सम्बन्ध में शर्तो एवं आवेदन का प्रारूप तथा अन्तिम तिथि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ।

संलग्नकः यथोक्त

सादर ।

भवदीय,
14/03/2022
(विनोद कुमार सिंह)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
जौनपुर।

अध्यक्ष
जि0 उ0 वि0 प्र0 आयोग
जौनपुर

<u>जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जौनपुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1.आवेदक का नाम (हिन्दी में):
2.आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):
3.आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):
4.आवेदक की जन्म तिथि:
5.आवेदक की शैक्षिक योग्यता:
6.आवेदक का पता (हिन्दी में):
7.आवेदक का मोबाइल नंबर :
8.आवेदक की ई–मेल आई0डी0 :
9.अन्य विवरण जिसका संबंध निम्न से हो :

10.यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यकता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें :

11.क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है:–

12.क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो,लगाय गये हैं और लंबित पडे हैं:–

13.क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है :–

14.क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है :–

दिनांक:
स्थान : आवेदक का नाम व हस्ताक्षर
संलग्नक:

<u>घोषणा–पत्र</u>

एतद्द्वारा मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित कीं हैं वह सत्य हैं । भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाईं जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये ।

दिनांक: आवेदक का नाम व हस्ताक्षर
स्थान :

नोटः आवेदन को दिनांकः20, मार्च,2022 को सायं 04:00 बजे तक जरिये रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्वयं उपस्थित होकर "कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जौनपुर जिला आयोग के बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर (भूतल), जिला जौनपुर पिनकोड–222002 में प्रेषित किया जाय । साथ इस संबंध में यह भी सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम– 2019 एवं विनियम–2020 के अनुसार जिला पीठ,जिला आयोग,जौनपुर द्वारा तय मानदेय निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत देय होगा ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जौनपुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगें :–

(1) भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
(2) उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश

(3) उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य

(4) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य

(5) दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

(6) वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता

(7) भारत के उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ

(8) मध्यकता / सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति

(9) न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जौनपुर हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगें :–

(1) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो,लगाय गये हों और लंबित पडे हों ।

(3) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है ।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो ।

(विनोद कुमार सिंह) 03/03/2022

अध्यक्ष,

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

जौनपुर

अध्यक्ष जि० उ० वि० प्र० आयोग जौनपुर